Main Bhi Dilli
Ab Sheher Saath Banayenge

तथ्य पत्र

बेघर और बेघरपन की समस्या

Photo credits: IGSSS

दिल्ली में बेघर, न केवल आश्रय की कमी से पीड़ित हैं, बल्कि शहरी गरीबों में सबसे गरीब होने के कारण, उन्हें सार्वजनिक और सरकारी उदासीनता भी झेलनी पड़ती है। उन्हें पात्रता, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी स्वच्छता सेवाओं, नागरिकता के अधिकारों और लोकतांत्रिक भागीदारी के अपने अधिकारों से वंचित किया जाता है। हम सभी को सबसे अधिक हाशिए वाले तबके के प्रति अपने विचार बदलने की जरूरत है। वे शहर के निर्माता हैं और दिल्ली में आवास की सबसे बुनियादी जरूरत तक पहुंचने के लिए अधिकारों और मान्यता के हकदार हैं।

मैं भी दिल्ली एक जन अभियान है जो एक अधिक समावेशी शहर की कल्पना करने और उस कल्पना को सक्षम करने का लक्ष्य रखता है। यह नागरिक समाज संगठनों, कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं और अन्य लोगों का एक समूह है जो आवास, आजीविका, लिंग और अन्य अधिकारो के विभिन्न मुद्दों पर काम करते हैं।

HOMELESS IN THE CITY

जनगणना के अनुसार आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली में 46,724 लोग बेघर हैं। हालांकि, 2008 में IGSSS द्वारा आयोजित एक स्वतंत्र सर्वेक्षण के अनुसार शहर में बेघरों की संख्या 1,60,000 के करीब है। यह भी स्पष्ट है कि समाज के हाशिए, वंचित और कमजोर वर्गों के बेघर होने की संभावना अधिक है। हालांकि, शहर के विकास में बेघर का योगदान निर्विवाद है; 60% से अधिक पुरुष और महिलाएं सड़कों, आश्रयों और कार्यस्थल पर उनके साथ होने वाली रोजमर्रा की हिंसा के बावजूद नियमित रोजगार में लगे हुए हैं।

59% आश्रयों में शौचालय/स्नानागार के प्रावधान नहीं है।
।

7% आश्रयों में रसोई घर का स्थान आश्रयों के भीतर है।

दिल्ली में 18% आश्रय विकलांग लोगों (पीडब्ल्यूडी) के लिए अनुकूल हैं

Contributions to the city

82% बेघर आबादी साल भर काम करती है, 8% को कभी-कभार काम मिल जाता है।

39% बेघर अनुसूचित जाति, 36% ओबीसी, और 6% अनुसूचित जनजाति से हैं।

85% बेघर ने रोजगार और आजीविका की तलाश में दिल्ली प्रवसन किया है।

2017 में हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क (HLRN) द्वारा एकत्र आंकड़ों के अनुसार, सरकारी प्राधिकरणों ने 53,700 से अधिक घरों को तोड़ा, और उनसे कम से कम 2.6 लाख लोगों को निकाला गया।

अधिकांश बेघर प्रति दिन 200-300 रुपये कमाते है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में नियमित रूप से काम मिलता है, लेकिन उन्हें पुरुषों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है।

महत्वपूर्ण मुद्दे

दिल्ली में अधिकांश बेघर आश्रयों से संतुष्ट नहीं हैं।

- क्षमता से ज्यादा भीड़भाड़ की समस्या।
- आश्रयों की श्रेणियों की कमी की समस्या, जैसे परिवारों के लिए बहुत कम आश्रय हैं।
- बेघरों के लिए आश्रय एकमात्र विकल्प है।
- आश्रयों के स्थान पर कोई ध्यान नहीं।

दिल्ली में बेघरों के लिए जबरन बेदखली एक दैनिक आपदा हैं।

- ठहरने और काम करने, दोनों जगहों से।
- ज्यादातर बेदखली पुलिस कार्रवाई का नतीजा है और यहां भी महिलाएं असमान रूप से पीड़ित होती हैं।

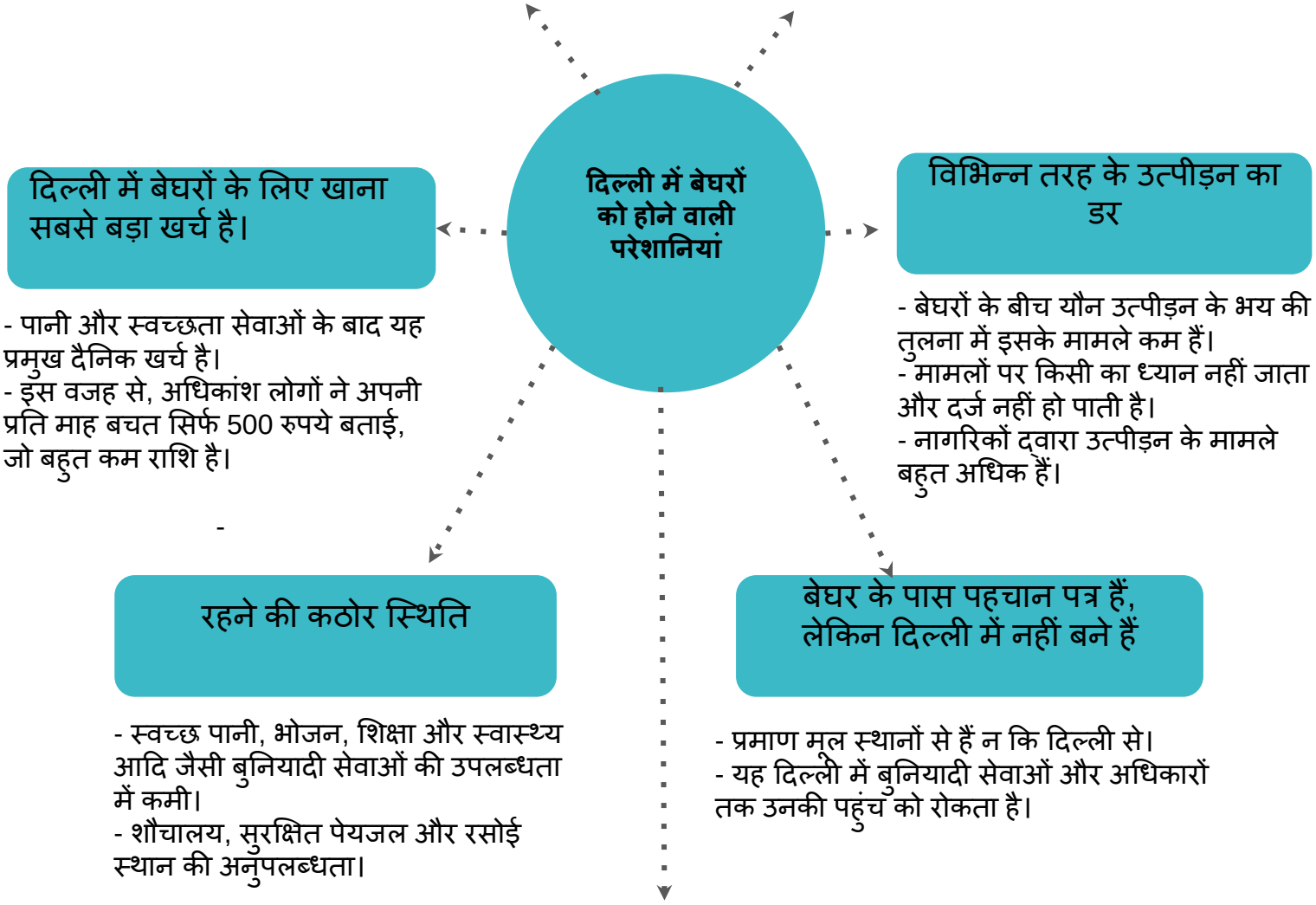

दिल्ली में बेघरों के लिए खाना सबसे बड़ा खर्च है।

- पानी और स्वच्छता सेवाओं के बाद यह प्रमुख दैनिक खर्च है।
- इस वजह से, अधिकांश लोगों ने अपनी प्रति माह बचत सिर्फ 500 रुपये बताई, जो बहुत कम राशि है।

विभिन्न तरह के उत्पीड़न का डर

- बेघरों के बीच यौन उत्पीड़न के भय की तुलना में इसके मामले कम हैं।
- मामलों पर किसी का ध्यान नहीं जाता और दर्ज नहीं हो पाती है।
- नागरिकों द्वारा उत्पीड़न के मामले बहुत अधिक हैं।

रहने की कठोर स्थिति

- स्वच्छ पानी, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि जैसी बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता में कमी।
- शौचालय, सुरक्षित पेयजल और रसोई स्थान की अनुपलब्धता।

बेघर के पास पहचान पत्र हैं, लेकिन दिल्ली में नहीं बने हैं

- प्रमाण मूल स्थानों से हैं न कि दिल्ली से।
- यह दिल्ली में बुनियादी सेवाओं और अधिकारों तक उनकी पहुंच को रोकता है।

बेघर की श्रेणी इन्हें और हाशिए पर ले जाती है

- पहचान प्रमाण पर 'बेघर' होने से उन्हें सेवाओं तक पहुँचने से अलग कर दिया जाता है।
- बेघरों की श्रेणी में 'आश्रयगृही' जैसे विकल्प होने चाहिए।

एमपीडी’41 (MPD’41) बेघरों के लिए क्या कर सकता है?

1 **शहर में अधिक आश्रय की आवश्यकता हैं**
- एक मूल्यांकन की आवश्यकता है ताकि हम यह जान सकें कि हमें क्या चाहिए और किस मात्रा और गुणवत्ता में।
- स्थान की दिक्कत दूर करने के लिए, एनयूएलएम-एसयूएच (NULM-SUH) के दिशा-निर्देशों के अनुसार 50 वर्ग मीटर जगह उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- अगर हम बेघरों की आबादी को देखें, तो हमें 5000 वर्ग फुट के औसतन 1000 आश्रयों की जरूरत है, जहाँ हर एक आश्रय एनयूएलएम के मानदंड के अनुसार 100 लोगों को समायोजित करेगा और इस तरह 1,00,000 शहर-निर्माताओं की जरुरत को पूरा करेगा।

2 **बेघर हॉटस्पॉट के लिए मुकम्मल अध्ययन की जरुरत है**
- बेघरों की आबादी के अनुसार स्थानिक हॉटस्पॉट मैप किए जा सकते हैं।
- अस्पतालों, धार्मिक संस्थानों और बेघर एकाग्रता क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को मैप किया जाना चाहिए।
- शहर और उन क्षेत्रों में प्रवासन दर पर प्रमुख जोर दिया जाना चाहिए जहां औद्योगिक और व्यापारिक कार्य तेजी से बढ़ रहे हैं।

3 **एमपीडी 2021 (MPD 2021) में बेघरों के लिए बातें और शर्तें**
- 'नाईट शेल्टर' और रेन बसेरा जैसे शब्दावली को 'शेल्टर' और ‘आश्रयगृह’ शब्द से बदला जाना चाहिए।
- आवास की धारा के तहत अलग से एक उपधारा के रूप में आना चाहिए।
- विशिष्टता और विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

6 बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रावधान
- आश्रयों में भोजन, पर्याप्त शौचालय, स्नानघर / कपड़े धोने का स्थान, सुरक्षित पेयजल, शिशुसदन, मनोरंजक स्थान और भंडारण होना चाहिए।
- इसके लिए, अन्य स्थानों के मौजूदा मॉडलों का अध्ययन किया जा सकता है और उन्हें अमल में लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सूप किचन को हॉटस्पॉट स्थानों पर स्थापित किया जा सकता है जहां बेघर आबादी भोजन का लाभ उठा सकती है।

5 सिर्फ आश्रय ही एकमात्र उपलब्ध विकल्प ना हो
- अभी दिल्ली में बेघरों के लिए हमारे पास सिर्फ DUSIB आश्रय उपलब्ध हैं।
- हमें उन लोगों पर भी विचार करना चाहिए जो आवास के लिए मामूली किराया दे सकते हैं।
- केरल में, भावना फाउंडेशन ने अपनी परियोजना 'अपना घर' में वहां के प्रवासित निवासियों के लिए किराये के आवास का डिजाइन और निर्माण किया है।

6 **आश्रय की श्रेणियों में अधिक विविधता**
- विविधता पूर्ण समाज के लिए, आश्रय की विभिन्न श्रेणियों की आवश्यकता होती है।
- ट्रांसजेंडर लोगों, महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और, विकलांगता और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों को हर तरह से तवज्जो मिलना चाहिए।
- अस्थायी / पोर्टा केबिन आश्रयों को स्थायी आश्रय में बदलना चाहिए।

References:

Indo- Global Social Service Audit Report
IGSSS Understanding Homeless in Delhi
Indu Prakash singh. 2016 & 2017. "CityMakers: Tribulations & Triumphs - A Saga of Heroic Struggle of the Homeless Residents of India". New Delhi: Mukul Prakashan, p. 601.